

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति

सी.जी. ओ. भवन, ए.बी. रोड, इंदौर, 452001

मधुकर पवार

सचिव, सी.जी.ई.डब्ल्यू.सी.सी.

सहायक निदेशक, डी.एफ.पी.

सी.जी.ओ. भवन, ए.बी. रोड, इंदौर (म.प्र.)

सम्पर्क- 94250-71942, 0731-2490265

दि: 13/9/17

1276

13.9.2017

सचिव/ सी.जी.ई.डब्ल्यू.सी.सी./चि.सुविधा/2016-17

दिनांक 28-08-2017

प्रति,

विभागाध्यक्ष

सभी केंद्रीय कार्यालय

इंदौर (म.प्र.)

विषय:- केंद्रीय कर्मचारियों को मेदांता और भंडारी अस्पताल अस्पताल में ईलाज की सुविधा.
महोदय,

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्रांक एस.14021/03/2016-ईएचएस दिनांक 14 जून 2017 के तहत मेदांता सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल, इंदौर तथा पत्रांक एस.14021/06/2017-ईएचएस दिनांक 19 जुलाई 2017 के तहत भंडारी हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इंदौर को सी.एस. (एम.ए.) अधिनियम 1944 के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों के ईलाज के लिये अधिकृत कर दिया है. इन दोनों अस्पतालों को मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय जापन की तिथि से चार वर्ष के लिये अधिकृत किया गया है. अब केंद्रीय कर्मचारी और उनके परिवार के नियमानुसार आश्रित सदस्य सी.जी.एच.एस. की दरों पर मेदांता और भंडारी अस्पतालों में ईलाज करा सकते हैं.

मंत्रालय द्वारा उक्त दोनों अस्पतालों के लिये जारी कार्यालय जापन की प्रति आपके आवश्यक कार्यवाई हेतु संलग्न प्रेषित है.

धन्यवाद.

संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(मधुकर पवार)

सचिव

सी.जी.ई.डब्ल्यू.सी.सी. इंदौर

एन.सी.ई. के.एस. पर

DD/A1
APRO

13/9/17